संपादक
डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल
डॉ. मीना अग्रवाल

ISSN 0975-735X

शोध दिशा

56

UGC APPROVED CARE LISTED JOURNAL

शोध दिशा

ISSN 0975-735X

विश्वस्तरीय शोध-पत्रिका
केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा से अनुदान प्राप्त
UGC APPROVED CARE LISTED JOURNAL
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त शोध पत्रिका

शोध अंक 56/3 अक्टूबर-दिसंबर 2021 300.00 रुपए

संपादकीय कार्यालय
हिंदी साहित्य निकेतन, 16 साहित्य विहार,
बिजनौर 246701 (उ०प्र०)
फोन : 0124-4076565, 09557746346
ई-मेल : shodhdisha@gmail.com
वैब साइट : www.hindisahityaniketan.com

क्षेत्रीय कार्यालय

हरियाणा
डॉ० मीना अग्रवाल
ए-402, पार्क व्यू सिटी-2 सोहना रोड,
गुड़गाँव (हरियाणा)
फोन : 0124-4076565, 07838090237

दिल्ली एन०सी०आर०
डॉ० अनुभूति
सी-106, शिवकला अपार्टमेंट्स
बी 9/11, सेक्टर 62, नोएडा
फोन : 09958070700

(सभी पद मानद एवं अवैतनिक हैं।)

संपादक
डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल
07838090732

प्रबंध संपादक
डॉ० मीना अग्रवाल

संयुक्त संपादक
डॉ० शंकर क्षेम
प्रमोद सागर

उपसंपादक
डॉ० अशोककुमार
डॉ० कनुप्रिया प्रचण्डिया

कला संपादक
गीतिका गोयल/ डॉ० अनुभूति

विधि परामर्शदाता
अनिलकुमार जैन, एडवोकेट

आर्थिक परामर्शदाता
ज्योतिकुमार अग्रवाल, सी०ए०

शुल्क
आजीवन (दस वर्ष): व्यक्तिगत : छह हजार रुपए
संस्थागत : छह हजार रुपए
वार्षिक शुल्क : आठ सौ रुपए
यह प्रति : तीन सौ रुपए

प्रकाशित सामग्री से संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है। पत्रिका से संबंधित सभी विवाद केवल बिजनौर स्थित न्यायालय के अधीन होंगे। शुल्क की राशि 'शोध दिशा' बिजनौर के नाम भेजें। (सन् 1989 से प्रकाशन-क्षेत्र में सक्रिय)

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल द्वारा श्री लक्ष्मी ऑफसैट प्रिंटर्स, बिजनौर 246701 से मुद्रित एवं 16 साहित्य विहार, बिजनौर (उ०प्र०) से प्रकाशित। पंजीयन संख्या : UP HIN 2008/25034

संपादक : डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल

अनुक्रम

इक्कीसवीं सदी के काव्य में समता शिक्षा और संघर्ष/ **डॉ॰ लक्ष्मण तुळशीराम काळे** 17

समता, स्वतंत्रता और बंधुता की कसौटी पर 'सूत्रधार'/ **डॉ॰ अरुण प्रसाद रजक** 22

समता, स्वतंत्रता और बंधुता के लिए संघर्षरत नारी (नादिरा जाहिर बब्बर की नाटक 'जी जैसी आपकी मर्जी' के संदर्भ में)/ **ग्लिनशिया सी॰एक्स** 28

स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता की गुहार लगाता 'मोहनदास'/ **डॉ॰ दीपक जाधव** 32

डॉ॰ जयप्रकाश कर्दम का मेरे संवाद : अंबेडकरवादी विचारों का हिमायती/ **डॉ॰ गजानन सुखदेव चव्हाण** 38

इक्कीसवीं सदी के महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों में समता/ **डॉ॰ शाहू साईनाथ गणपत** 44

'माटी कहे कुम्हार से' उपन्यास में समता, स्वातंत्र्य और बंधुता/ **डॉ॰ संदीप तानाजी कदम** 48

असंगघोष की कविता में सामाजिक समता के स्वर/ **डॉ॰ कामायनी गजानन सुर्वे** 52

21वीं सदी के उपन्यासों में नारीमुक्ति संघर्ष एवं स्वतंत्रता की चेतना/ **डॉ॰ शहनाज महेमूदशा सय्यद** 58

इक्कीसवीं सदी के अंबेडकरवादी काव्य में संविधानिक मूल्य/ **डॉ॰ माधव राजप्पा मुंडकर** 62

मैत्रेयी पुष्पा के 'विजन' उपन्यास में समता, स्वातंत्र्य और बंधुता/ **डॉ॰ उत्तम थोरात** 66

21वीं सदी के हिंदी काव्य साहित्य में स्वातंत्र्य/ **डॉ॰ शाहीन अब्दुल अजीज पटेल** 69

डॉ॰ अंबेडकर के विचारों में समता स्वातंत्र्य और बंधुता का प्रभाव (महानायक बाबासाहेब डॉ॰ अंबेडकर' उपन्यास के विशेष संदर्भ में)/ **अशोक गोविंदराव उघडे** 73

21वीं सदी के हिंदी दलितकाव्य में समता, स्वातंत्र्य और बंधुता/ **मारुती दत्तात्रय नायकू** 78

इक्कीसवीं सदी के हिंदी काव्य में संविधानिक मूल्य/ **रगडे परसराम रामजी** 84

21वीं सदी के उपन्यास में समता, स्वातंत्र्य और बंधुता/ **डॉ॰ नीरूबहन एच॰ बोरिसानिया** 89

डॉ॰ नीरजा माधव के 'यमदीप' उपन्यास में समता/ **सोमनाथ तातोबा कोळी** 92

विश्वनाथ त्रिपाठी के संस्मरण की जनकदुलारी और मौलिक अधिकार/ **रूपाली प्रशांत भोसले** 95

ISSN 0975-735X

विश्वनाथ त्रिपाठी के संस्मरण की जनकदुलारी और मौलिक अधिकार

रूपाली प्रशांत भोसले
वेणूताई चव्हाण महाविद्यालय, कराड

21वीं सदी का दौर भूमंडलीकरण, बाजारवाद रहा है। बदलती सामाजिक गतिविधियों ने मानव को भौतिकवादी बना दिया। बदलती जीवन शैली का असर साहित्य जगत में भी हुआ। साहित्य में सामाजिक चित्र प्रतिबिंबित होता है। मानव विचारशील एवं अनुभव ग्रहण करने की क्षमता रखने वाला सजीव है। वह अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार वाणी द्वारा स्पष्ट करता है। मानव सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक, आदि विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव मनुष्य पर होता है। लोक व्यवस्था को नियंत्रित रखने हेतु हुकूमत और जनतंत्र प्रशासनिक नियम लागू किए गए। मुगल तथा अँग्रेजी शासनकाल हुकूमत का शासनकाल रहा। स्वतंत्रता पश्चात भारत में जनतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था लागू की गई। प्रस्तुत व्यवस्था के अनुसार समाज की व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से चलती रहे। इसलिए डॉ॰ बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण किया। संविधान और राज्यघटना के अनुसार भारत की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है। संविधानिक मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता, समता, न्याय, शिक्षा एवं संस्कृति, धर्म आदि अधिकारों का उल्लेख आता है। साहित्य में समाज की घटित घटनाएँ उभरती हैं। मौलिक अधिकार नारी साहित्य, किन्नर साहित्य, दलित साहित्य आदि में उभरकर आते हैं। प्रस्तुत शोध आलेख में विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित संस्मरण 'नंगा तलाई का गाँव' स्मृति पर आख्यान से 'जनक दुलारी हमारे गाँव की' का चयन किया है। समता, स्वतंत्र और बंधुत्व से जुड़ी जनक दुलारी एक अविस्मरणीय संस्मरण है।

स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व राष्ट्र की एकता और अखंडता को स्थापित एवं बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्र को मौलिक अधिकार के अंतर्गत के आते हैं और बंधुत्व कर्त्तव्य अंतर्गत यह संविधान की आत्मा है। समाज में घटित घटनाओं का प्रतिबिंब साहित्य में रेखांकित होता है। समाज की विभिन्न परिस्थितियाँ होती है। इन परिस्थितियों का कालखंडानुसार विभाजन किया जाता है कालानुसार परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। नीतियाँ एवं आवश्यकताएँ बदलती रहती हैं। यही परिवर्तन साहित्य में भी दर्शित होता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिककाल की परिस्थितियों में भी साहित्य की विभिन्नता दिखाई देती है। आधुनिककाल ने गद्य विधाओं के लिए प्रवेश द्वार खोल दिए। मुगल एवं अँग्रेजी शासन काल के पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत ने प्रथम जनतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था के दर्शन किए। जहाँ लोकराज्य की संकल्पना ने अपने जड़े कायम की। लोक व्यवस्था को व्यवस्थित एवं नियंत्रित रखने के लिए डॉ॰ बाबासाहेब अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया। 26 जनवरी

ISSN 0975-735X

1960 से भारत का संविधान लागू किया गया भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदि मूलभूत अधिकारों को निश्चित किया गया। यह मौलिक अधिकार साहित्य में नारी साहित्य, किन्नर साहित्य, दलित साहित्य आदि में प्रमुखता से उभरकर सामने आते हैं।

स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व की संकल्पना

स्वतंत्रता–बिना बाहरी दबाव के स्वयं सब-कुछ कर सकने की शक्ति या अधिकार आजादी।[1]

अनुच्छेद [19- 22] के अंतर्गत व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, उपासना की, आचरण की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, व्यावसायिक स्वतंत्रता, निवास करने, आने-जाने प्राण की स्वतंत्रता आदि का प्रावधान किया गया है।

समता–सम या समान होने का भाव, बराबरी, तुल्यता, इक्वेलिटी।[2]

अनुच्छेद (14 -18) के अंतर्गत कानून के समक्ष धर्म, जाति, लिंग तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव वर्जित है।

'समानता को भेदभाव न होने के रूप में समझा जा सकता है। बहुत से लोग अपनी बुरी सामाजिक या आर्थिक स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें वंचना या नुकसान का सामना करना पड़ता है। भेदभाव के अभाव का अर्थ है इन वंचनाओं या नुकसानों को खत्म करना। सभी लोगों को मुक्त होने का सम्मान अवसर दिए बिना स्वतंत्रता या समानता में से कोई भी अपने लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकता है।'[3]

बंधुत्व–बंधुत्व का अर्थ है–भाईचारे की भावना। बंधुत्व एक संवैधानिक मूल्य है। मौलिक कर्त्तव्य (अनुच्छेद 51) के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा विविधता के परिवेश में अपनी भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें।

साहित्य समाज का मार्गदर्शन करता है। आवश्यक परंपराओं का संवहन करता है। साथ ही अनावश्यक एवं समाज विघटक रूढ़ियों को नकारता है। जहाँ समाज में गलत रूढ़ि, प्रथाओं का प्रचलन हो, अमानवीय घटना हो, जहाँ पर सामाजिक मूल्य हनन हो वहाँ कानून व्यवस्था अर्थात् संविधानिक मौलिक अधिकारों के उपयोग से जनतांत्रिक देश का स्वरूप साकार किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध आलेख में विश्वनाथ त्रिपाठी के संस्मरण नंगा तलाई का गाँव में प्रकृति चित्रण के साथ गाँव के संस्मरणीय व्यक्तियों के संस्मरण चित्रित है। प्रस्तुत संस्मरण लक्खा बुआ बल्दीबनिया,अम्मा-दादा आदि के साथ जनकदुलारी हमारे गाँव की आदि संस्मरण है। 21वीं सदी के संस्मरणों में चित्रित विश्वनाथ त्रिपाठी के गाँव की जनकदुलारी अपनी स्वतंत्रता और पिता से मिली समता की भावना, ससुराल-मायके में अपने गाँव के लोगों द्वारा निभाई बंधुत्व की भावना को विश्वनाथ त्रिपाठी के सम्मुख प्रस्तुत करती है। संस्मरण यथार्थ की भूमि में ही फलते और फूलते हैं।

विश्वनाथ त्रिपाठी के साहित्य में मौलिक अधिकार

जनकदुलारी अनमेल विवाह से प्रसन्न नहीं थी। तो उसने पति से अलग होकर, अपने पिता के घर रहना पसंद किया। जनकदुलारी के पिता, अपनी बेटी का साथ देते हैं। उसके व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं। उसे निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को प्रस्तुत संस्मरण के माध्यम से रेखांकित किया है।

ISSN 0975-735X

'जनकदुलारी हमारे गाँव की' संस्मरण में स्मरणीय पात्र जनकदुलारी अनमेल विवाह के पश्चात अपने पति का घर छोड़कर पिता के घर वापस आ जाती है। जनकदुलारी के पिता समाज की परवाह किए बगैर जनकदुलारी से कहते हैं 'तुम बिटिया नहीं बेटवा हो, घर का काम करो और रहौ, कोई ससुर कुछ कही तो देख लेब।'[4]

व्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषित नीतियों के विरोध में कार्य करती है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आनेवाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक अतिक्रमण तथा शोषण से व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। पारंपरिक विवाह संस्था की प्रतिबद्धता को अस्वीकार कर, विचार स्वातंत्र्य की झाँकी प्रस्तुत संस्मरण में प्राप्त होती है। डॉ॰ नरेंद्र शर्मा लिखते हैं, 'व्यक्ति का निजस्व सुरक्षित हो, उसकी वैयक्तिक गरिमा अक्षुण्ण एवं अक्षत रहे। शोषण मिटे उन्नति के समान अवसर मिलें, सही अर्थ में लोकतंत्र पनपे।'[5]

लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा सामान्य नागरिक पर अत्याचार किया जाए अथवा अपने प्रशासनिक अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया जाने पर, सामान्य व्यक्ति प्रस्तुत घटना का डटकर विरोध करती है। जनकदुलारी भी उसके पिता को पकड़ने आए थानेदार एवं सिपाहियों के प्रति विरोध दर्शाती है। थानेदारनी जनकदुलारी के साथ जबरदस्ती करना चाहा तो उसने अपनी रक्षा के लिए थानेदार पर हथियार से उलटा प्रहार कर दिया।

डॉ॰ बाबासाहेब अंबेडकर जी ने आदर्श समाज की स्थापना की नींव में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को प्रस्थापित किया। समता या समानता से तात्पर्य है–जाति, लिंग, धर्म तथा मूलवंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना वर्जित है। जनकदुलारी अपने मायके में रहती है। भाई की शादी के पश्चात भाभी द्वारा उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने पर, वह अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व पर विचार करती है और दूसरी शादी का निर्णय लेती है। अपने पिता से पूछने पर वह जवाब देती है–'उमिर तुम्हें काटनी हैं और हमारी ओर से न हाँ है, न ना।'[6]

पिता द्वारा कोई ठोस जवाब न मिलने पर जनकदुलारी समझ जाती है कि उसे निर्णय लेने की आजादी है। प्रस्तुत संस्मरण में स्त्री-पुरुष समता पर विचार हुआ है। जनकदुलारी के पिता ने पारंपरिक सामाजिक बंधनों को तोड़कर, जनकदुलारी को समता के अधिकार से परिपूर्ण कर दिया। जनकदुलारी अपने लिए अपने पसंद के पति का चयन करती है। जनकदुलारी तिवारी के साथ बिस्कोहर में आ जाती है। तिवारी के साथ आते वक्त तिवारी लोकलाजवश जनकदुलारी को अपने से दूर चलने के लिए कहता है। तो जनकदुलारी सोचती है कि जिसके लिए मैं अपना सब-कुछ छोड़कर आई हूँ, वही मुझे दूर से चलने के लिए कहता है। जनकदुलारी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए कहती है–'ऐ तिवारी...में दम नाहीं है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम जाएँ घर...हिम्मत है तो साइकिल पर आगे हत्था पर बैठाकर सरेआम लै चलो। जैसे सिनेमा में होता है।'[7]

समाज व्यवस्था में जो अवसर की समानता है, वह राष्ट्र निर्माण में मार्गदर्शन का कार्य करती है। राष्ट्र में अखंडता एवं एकता बनाए रखने में मददगार साबित होती है।

बंधुत्व से अपेक्षित है–सामाजिक एकजुटता, एक-दूसरे के प्रति सम्मान, सहानुभूति, परस्पर सद्भाव, जो समाज को एकता के सूत्र में पिरोकर रखे। अन्याय का विरोध, समाज के वंचित घटक को न्यायपूर्ण वातावरण की उपलब्धि, यही बंधुत्व की संकल्पना है। सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ऊँच-नीच, वर्ण भेद आदि बाधाओं को लाँघकर 'वसुदेव कुटुंबकम्' की

वैश्विक भावना को बढ़ावा मिले यही 'बंधुत्व' का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।

प्रस्तुत संस्मरण में जनकदुलारी पर थानेदार अत्याचार करने के लिए जाता है। उस समय गाँव के लोग अपने गाँव की बेटी को बचाने के लिए उसकी मदद करते हैं। बिना यह सोचे कि किसी प्रशासनिक अधिकारी के विरोध में कोई कार्य करने से क्या परिणाम होगा। अर्थात् परिणाम की परवाह किए बगैर थानेदार और सिपाहियों को पीटते हैं और कहते हैं–'मारो स्साले थानेदार को, गाँव की नाक कट गई तो रहा क्या?'[8]

जनकदुलारी के ससुराल में पुराने ससुराल वाले उसे लेने आते हैं। तो जनकदुलारी की मदद करने कहारिन दाई, घुट्टी मेहरारू, लक्खा बुआ आदि के साथ गाँव के लोग आ जाते हैं। आपस में भाईचारे की भावना व्यक्ति सुरक्षा बरकरार रखने में मददगार साबित होती है। आपसी मतभेद भुलाकर किया गया सकारात्मक प्रयास राष्ट्र निर्माण में प्रेरक बन जाता है। अनीति, अन्याय, शोषण, जीवन की व्यथा, सामाजिक विसंगति, जीवन-संघर्ष आदि समाज की उन्नति में बाधक होते हैं। जनतंत्र एवं राज्यघटना के माध्यम से समाज हित में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का पल्लवन होना एक महत्त्वपूर्ण बिंदु है।

'जनतंत्र या देश में किसी भी नीति की सफलता के लिए इच्छाशक्ति का होना जरूरी है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि समाज के विभिन्न वर्गों–राजनेताओं, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, धर्मप्रवक्ताओं तथा अन्य सभी महत्त्वपूर्ण सामाजिक घटकों में प्रबल इच्छाशक्ति जाग्रत हो और राष्ट्रीयता का स्फुरण हो ताकि समय, शक्ति एवं संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो सके।'[9]

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने जनकदुलारी के माध्यम से मौलिक अधिकारों–समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जैसे मूल्यों को साकार किया है। उनका मानना है कि प्रशासन, समाज, प्राकृतिक आपदाओं एवं शोषण का मुकाबला एकता के माध्यम से किया जा सकता है। उक्त समस्या को लेखक ने थानेदार और जनकदुलारी के विरोध के माध्यम से व्यक्त किया है। स्वतंत्रता एवं आत्मसम्मान व्यक्ति की मूल चेतना है जिसका संबंध वर्ग, आर्थिक स्थिति, वंश, शिक्षित और अशिक्षित से संबंधित न होकर संस्कार से निर्मित है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने जनकदुलारी के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति सचेत कर, गलत व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह की भूमिका को स्पष्ट किया है।

संदर्भ

1. नालंदा विशाल शब्द सागर, संस्करण 2017, पृ॰ 1518
2. वही, पृ॰ 1405
3. राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय, संपादक राजीव भार्गव, अशोक आचार्य, पृ॰ 55
4. नंगातलाई का गाँव, विश्वनाथ त्रिपाठी, राजकमल प्रकाशन, पृ॰ 118
5. साहित्य शिक्षा और सामाजिक सरोकार, डॉ॰ नरेंद्र शर्मा 'कुसुम' पृ॰ 110
6. नंगातलाई का गाँव, विश्वनाथ त्रिपाठी, राजकमल प्रकाशन, पृ॰ 119
7. वही, पृ॰119
8. वही, पृ॰ 119
9. साहित्य, शिक्षा और सामाजिक सरोकार, डॉ॰ नरेंद्र शर्मा 'कुसुम', पृ॰ 110

ISSN 0975-735X